स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 48

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2004-2005			संशोधित, 2004-2005			बजट, 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		172.49	52.73	225.22	199.49	59.20	258.69	343.00	60.98	403.98
पूंजी		*0.51*	*...*	*0.51*	*0.51*	*...*	*0.51*	*2.00*	*...*	*2.00*
जोड़		**173.00**	**52.73**	**225.73**	**200.00**	**59.20**	**259.20**	**345.00**	**60.98**	**405.98**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	4.27	0.55	4.82	4.27	0.55	4.82	4.30	0.55	4.85
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य										
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,सिद्ध तथा होम्योपैथी										
2. आयुर्वेद	2210	13.74	31.53	45.27	13.91	37.70	51.61	55.80	38.46	94.26
3. होम्योपैथी	2210	12.21	7.37	19.58	15.50	7.40	22.90	18.80	7.80	26.60
4. यूनानी	2210	16.50	8.20	24.70	20.50	8.41	28.91	21.65	8.75	30.40
5. योग और प्राकृतिक चिकित्सा	2210	9.12	2.40	11.52	6.06	2.35	8.41	6.05	2.45	8.50
6. उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम	2552	18.10	...	18.10	20.00	...	20.00	35.00	...	35.00
के लिए एकमुश्त प्रावधान	2210	45.30	2.68	47.98	55.74	2.79	58.53	63.84	2.97	66.81
7. अन्य	3601	53.25	...	53.25	61.89	...	61.89	133.70	...	133.70
	3602	...	...	...	1.62	...	1.62	3.86	...	3.86
	जोड़	*98.55*	*2.68*	*101.23*	*119.25*	*2.79*	*122.04*	*201.40*	*2.97*	*204.37*
जोड़-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य		**168.22**	**52.18**	**220.40**	**195.22**	**58.65**	**253.87**	**338.70**	**60.43**	**399.13**
8. सरकारी उद्यमों में निवेश-आई.एम.पी.सी. लि.	4210	0.51	...	0.51	0.51	...	0.51	2.00	...	2.00
कुल जोड़		***173.00***	***52.73***	***225.73***	***200.00***	***59.20***	***259.20***	***345.00***	***60.98***	***405.98***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	22210	0.51	...	0.51	0.51	...	0.51	...	...	...

ग. आयोजना परिव्यय*										
1. चिकित्सा ओर लोक स्वास्थ्य	22210	162.90	...	162.90	185.50	...	185.50	315.00	...	315.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	18.10	...	18.10	20.00	...	20.00	35.00	...	35.00
		181.00	**...**	**181.00**	**205.50**	**...**	**205.50**	**350.00**	**...**	**350.00**

**इसमें शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*

मांग संख्या 101	22210	8.00	...	8.00	5.50	...	5.50	5.00	...	5.00

1. **सचिवालय-सामाजिक-सेवाएं**: आयुष विभाग में सचिवालय सेवा उपलब्ध कराती है।

2. **आयुर्वेदः** इसमें (i)राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर जो अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा रोगी परिचर्या के लिए आदर्श संस्थान के रूप में सेवा देता है, हेतु प्रावधान; (ii) आयुर्वेद में विकास व अनुसंधान हेतु केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के लिए प्रावधान (iii) गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के घटक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर को सहायता अनुदान हेतु प्रावधान (iv) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली (v) राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल, दिल्ली और (vi) आयुर्वेद हॉस्पीटल, लोदी रोड, नई दिल्ली हेतु प्रावधान शामिल है।

3. **होम्योपैथीः** इस विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय, होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी, गाजियाबाद और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् जो एक सांविधिक निकाय है, हेतु प्रावधान के अलावा, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् के लिए प्रावधान, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता और होम्योपैथिक स्नातकोत्तर कॉलेजों के उन्नयनार्थ अनुदान शामिल है।

4. **यूनानीः** इसमें (i) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ii) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा जन स्वास्थ्य परिचर्या का एक आदर्श संस्थान) जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **योग और प्राकृतिक चिकित्साः** इसमें केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम राज्य के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के बजट अनुमान 2005-2006 में 35.00 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रावधान।

7. **अन्यः** इसमें औषधीय पादप हेतु राष्ट्रीय बोर्ड, अनुसंधान संस्थानों के जरिए बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजना, सूचना, शिक्षा और संप्रेषण(आई.ई.सी.), अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम, टी.के.डी.एल. और सांविधिक संस्थानों नामतः भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.), और आयुष के केंद्रीय फार्मेसी परिषद् जैसी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं सम्मिलित हैं। इसके अलावा, इसमें एन.आई.एस.चैन्नई व विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय, पी.एल.आई.एम. गाजियाबाद और आयुष प्रणाली के उपयोग एवं स्वीकार्यता पर सर्वेक्षण भी शामिल हैं।

(i) आयुष संस्थानों/कॉलेजों का विकास एवं उन्नयन

(ii) आयुष अस्पतालों हेतु स्कीम

(iii) आयुष औषधालयों हेतु स्कीम

(iv) आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी व होम्योपैथिक औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण

8. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश** : आयुर्वेदिक एवं यूनानी की औषधियों की सरकारी संस्थानों आदि में आपूर्ति और खुले बाजार में बिक्री के लिए इंडियन मेडिसिंस फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत का कुमाऊंमंडल विकास निगम (उत्तरांचल सरकार उपक्रम) के साथ संयुक्त उद्यम है।